

**समष्टि मामलों के मंत्रालय के समक्ष**  
**शास्त्री भवन, नई दिल्ली**  
**भारत सरकार**  
**कम्पनी याचिका, दिनांक 7 जुलाई, 2009**  
**कम्पनी के आवेदन**  
**दिनांक 23 दिसम्बर, 2008**  
**के साथ सम्बद्ध**  
**[कम्पनी अधिनियम, 1956 के**  
**सेक्शन 391 से 394 के अन्तर्गत (एक का 1956)]**

निम्नलिखित विषय में :

कंपनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 391 से 394 और

निम्नलिखित के विषय में :

स्पान्ज आयरन इण्डिया लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड के बीच विलयन की योजना और

निम्नलिखित विषय में :

स्पान्ज आयरन इण्डिया लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समाविष्ट कम्पनी जिसकी पंजीकृत कार्यालय खनिज भवन, 6ठी मंजिल, 10-3-311/ए, कैसेल हिल्स, मासाव टैंक, हैदराबाद-500173 आन्ध्र प्रदेश पर है

... अर्जीदार  
अन्तरणकर्ता कम्पनी


**प्रार्थी की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्पान्ज आयरन इण्डिया लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड और उसके शेयरधारकों के बीच विलयन की योजना के लिए माननीय समूह मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 391 से 394 के अन्तर्गत एक याचिका 7 जुलाई, 2009 को याचिका कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 27 अगस्त, 2009 को उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और उपरोक्त याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर, 2009 को 11-00 बजे श्रीमती रेणुका कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी, रुम नम्बर 511, 'ए' विन्ना, 5वीं मंजिल, सामूहिक मामलों का मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 पर होगी।

याचिका को समर्थन देने वाले या उसका विरोध करने वाले इच्छुक कोई व्यक्ति को उसे याचिकाकर्ता के वकील 216, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, तृतीय चरण, नई दिल्ली - 110020 को भेजना होगा, अपने नाम और पते के साथ उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने अभिप्राय की सूचना को भेजना होगा ताकि वह याचिकाकर्ता के वकील के पास 27 सितम्बर, 2009 तक पहुँच जाए और यह 3 सितम्बर, 2009 के आदेश में सामूहिक मामलों के माननीय मंत्रालय के निर्देश अनुसार होगा। ऐसी सूचना याचिका पर सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तक याचिकाकर्ता कम्पनी के वकील द्वारा भी प्राप्त की जाएगी।

अगर वह याचिका का विरोध करना चाह रहे हैं तो विरोध की पृष्ठभूमि या शपथपत्र की एक प्रति को ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करना होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिकाकर्ता की एक प्रति भी उसे सौंपी जाएगी, जिसे की उसकी आवश्यकता है और उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

इस तिथि 10 सितम्बर, 2009 को.



(अमरचंद एण्ड मंगलदास एण्ड सुरेश ए.श्राफ एण्ड कं.)

याचिकाकर्ता/अन्तरणकर्ता कम्पनी के वकील  
अमरचंद टॉवर्स, 216, ओखला इण्डस्ट्रियल  
एस्टेट, तृतीय चरण, नई दिल्ली-110020